न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 1/2019 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– सुरेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति मेघवाल निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

———— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

———— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– अनिलसिंह खीचड़ — अभिभाषक अपीलान्ट
चतुर्भुज शर्मा — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 14.5.2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.11.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 26.9.2018 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति मेघवाल निवासी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टा करने का आदी है, गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 3 प्रकरण दर्ज हुए तथा तीनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । गैर सायल द्वारा सट्टे की खाईवाली करने से युवा पीढी पर बुरा प्रभाव पड़ता है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 8.10.2018 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 26.10.2018 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में अपीलान्ट के निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं आने पर प्रथमतः जमानती वारन्ट से तलब किया गया एवं दिनांक 9.11.18 को गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया गया । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.11.18 को उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक जवाब नोटिश पेश किया गया । अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस पेश करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक उसी दिनांक 28.11.18 को निर्णय परित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय पीलीबंगा में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 28.11.2018 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट का अपील में मुख्य रुप से कथन है कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत पुलिस थाना घमूड़वाली जिला श्रीगंगानगर द्वारा रंजिशवश खाईवालों से मिल कर झूठ प्रकरण पदर्ज किये गये हैं, जिनमें मात्र 100/– रुपये जुर्माने का प्रावधान है । धारा 13 आरपीजीओ के उक्त मुकदमों में अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय की समझाईस एवं लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है । अपीलार्थी के विरुध्द परिवाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी स्वतंत्र साक्षी अधीनस्थ न्यायालय में परिक्षित नहीं करवाया है । इसके अलावा प्रार्थी अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिसके काराण किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को खतरा या नुकसान हो रहा हो । प्रार्थी अपीलान्ट शान्तिप्रिय एवम् मजदूरी पेशा व्यक्ति है, जिस पर अपने वृध्द माता–पिता के देखभाल की जिम्मेदारियां है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.18 की जानकारी दिनांक 28.12.18 को नकल लेने पर ज्ञात हुई । अपीलान्ट की जानकारी से यह अपील मियाद में पेश की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 3 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालाय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालाय द्वारा सभी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3 प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 14.9.2018 के अनुसार गैर सायल आवारा किस्म का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टे का आदि है । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, गांव के आम जन तथा लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 26.9.18 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	1/6.1.2014	13 RPGO	24.1.2014	सजा 100/– जुर्माना
2	1/3.1.2018	13 RPGO	21.1.2018	सजा 100/– जुर्माना
3	19/29.1.2018	13 RPGO	25.4.2018	सजा 100/– जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । प्रकरण में अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए एवम् तीनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (5)अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में नकल रपट रोजनामचा आम दिनाक 14.9.2018 के अनुसार गैर सायल आवारा किस्म का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टे का आदि है । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, गांव के आम जन में भय व्याप्त है तथा भय के कारण लोग इसके विरुध्द पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

डरते हैं। प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया है ।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । रपट रोजनामचा अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है । अपीलार्थी की आम शोहरत अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट के विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला हनुमानगढ में थानाधिकारी, पुलिस थाना पीलीबंगा को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2018 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 14.5.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर